न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हेमेन्द्र नागर, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 20 / 2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
दिलीप कुमार पुत्र जेठमल जाति खत्री निवासी खत्रियों का निचला वास बाड़मेर (राजस्थान) (मैसर्स गोदावरी सेल्स एजेन्सी, खत्रियों का निचला वास, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हितेश सांझीरा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30.01.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स गोदावरी सेल्स एजेन्सी, खत्रियों का निचला वास, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **17.01.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड रजनीगंधा (टिन पैक)** अलग–अलग टिनों में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 100 ग्राम के 20 टीन के बराबर मात्रा के चार पैकेट बनाकर **पान मसाला ब्राण्ड रजनीगंधा (टिन पैक)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1820** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड रजनीगंधा (टिन पैक)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

उक्त खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड रजनीगंधा (टिन पैक)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य पदार्थ के नमूने की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में विद्यमान मिनरल ऑयल पाया जाना बताया है जबकि जब्त किये पैक पर सामग्री के कोन्टेन्ट में मिनलर ऑयल होना अंकित नहीं होने से मिथ्याछाप होना बताया है जिसका विधिक आधार नहीं है। इसके साथ ही परिवादी द्वारा जब्ती की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं होने से यह परिवाद चलने योग्य नहीं होना प्रकट किया है तथा परिवादी एवं साक्ष्यों से जिरह की अनुमति चाही गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया कि उक्त प्रकरण में प्रक्रियात्मक त्रुटियां होने चलने योग्य नहीं है, लिहाजा अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **30.01.2023** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **मिथ्याछाप** पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल खो जाना प्रकट करते हुए जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा विवेच्य कार्यवाही को अनियमित एवं अविधिक बताते हुए परिवादी एवं उनके गवाहान से जिरह का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया हैं किन्तु जवाब एवं ऐसे कोई सारभूत आक्षेप प्रकट नहीं किये हैं। इसके विपरित परिवादी द्वारा नूमना लिये जाने एवं उसकी प्रयोगशाला जांच की प्रत्येक कार्यवाही की जानकारी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी को दी गई हैं, ऐसे में इस प्रक्रम में जिरह का अवसर दिया जाना विधि अनुसार आवश्यक प्रतीत नहीं होता हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा नमूना मिथ्याछाप होने का विधिक आधार नहीं होना प्रकट किया हैं, जबकि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में नूमना खाद्य पदार्थ में मिनरल ऑयल विद्यमान होना पाया गया हैं, जिसका पैकेट पर अंकन नहीं पाया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा जन सामान्य को विक्रय के आशय से अपने प्रतिष्ठान पर रखा गया खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबल एवं डिस्प्ले) विनियम 2020 के अनुच्छेद सं. 5.5 का उल्लंघन किया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **मिथ्याछाप** पाये जाने के लिए कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण नहीं किया गया है, लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 1,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(हेमेन्द्र नागर)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर